प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 21 मई, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-19 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-203.05 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-46/बजट/2018-19, दिनांक: 14.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अधीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन की योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि रू0-203.05 लाख के सापेक्ष रू0-203.05 लाख (रूपया दो करोड़ तीन लाख पॉच हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की** वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नवत है :-

खाद्य प्रसंस्करण शाखा (अनुदान संख्या-10) **(धनराशि लाख रूपये में)**

क0 सं0	**लेखाशीर्षक/योजना का नाम**		**कोड सं0/मद का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	***2***		***3***	***4***	***5***
1	2401-फसल क़षि कर्म-119-बागवानी तथा वन्सपति की फसलें-04-फल-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन				
		16-	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	0.55	0.55
		20-	सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	200.00	200.00
		42-	अन्य व्यय	2.50	2.50
			योग-0411	**203.05**	**203.05**

(धनराशि रू0- दो करोड तीन लाख पॉच हजार मात्र)

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहॉ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30/03/2018 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।
7. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-56/2018/754(1)/58-2-2018, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in